न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2024/263

प्रार्थना पत्र संख्या 30/24 तारीख रजू 28.11.2024

कमलेश मीना पुत्र श्री मोतीलाल मीना निवासी सुन्दरपुर पोस्ट गालद कलां तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर ....प्रार्थी

बनाम

हरगोविन्द पुत्र श्योजी मीना निवासी सुन्दरपुर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर ....अप्रार्थी

उपस्थित – श्री उमाशंकर शर्मा एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
श्री श्रीदास सिंह एडवोकेट – अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 15.05.2026

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी हरगोविन्द पुत्र श्योजी मीना निवासी सुन्दरपुर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम सुन्दरपुर की भूमि ख0नं0 707 रकबा 2 है0 32 एयर (2.32 है0) किस्म गै0मु0रास्ता का आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए। अदालत मातहत की मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि ख0नं0 707 रकबा 2.32 है0 वाके ग्राम सुन्दरपुरा गैर मुमकिन रास्ता है जिसमें किसी भी प्रकार का आवंटन गैर कानूनी है। अप्रार्थी को दिनांक 20.01.202 को उक्त ख0नं0 से अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल करने का आदेश दिया गया है, अतः उप जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया आवंटन नियमन विधि विरूद्ध है। दिनांक 20.01.2020 को अप्रार्थी ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहां कब्जा छोडने के बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अप्रार्थी को दिया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण लायके निरस्त है। खसरा नम्बर 707 गैर मुमकिन रास्ता जमाबन्दी में दर्ज है। उसे गलत तरह से सिवायचक दर्ज कर दिया है। गैर मुमकिन रास्ते को सिवायचक में परिवर्तन करने का उप जिला कलेक्टर बौंली को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त नियमन की जानकारी दिनांक 11.09.2024 को सूचना के तहत मांगने पर तथा उसकी नकल देने पर हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान निम्न रूलिंग 1. स्टेट आफ राजस्थान बनाम इशाक मोहम्मद RRD 1988 पेज 662 2. RRD 1992 पेज 496 रूपनारायण बनाम स्टेट आफ राजस्थान पेश की गई। अन्त में वकील प्रार्थी ने आवंटन आदेश दिनांक 15.02.2022 को क्रम संख्या 392 से 395 द्वारा उप जिला कलेक्टर बहक हरगोविन्द पुत्र श्योजी मीना निवासी सुन्दरपुरा तहसील बौंली, सवाई माधोपुर के पक्ष में किया गया नियमन खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी द्वारा सुनायी गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी हरगोविन्द पुत्र श्योजी मीना निवासी ग्राम सुन्दरपुर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर को उप जिला कलेक्टर बौंली द्वारा दिनांक 15.02.2022 को गै0मु0रास्ता के किनारे प्रार्थी द्वारा सन् 1980 में बनवाये गये कुए का अप्रार्थी हरगोविन्द पुत्र श्योजी मीना के पक्ष में नियमन किया गया है। उक्त भूमि को नियमन करने का क्षेत्राधिकार उप जिला कलेक्टर को है। उक्त भूमि का नियमन उप जिला कलेक्टर ने समस्त तथ्यों का हवाला देते हुए नियमन किया है। उक्त नियमन धारा 14(4) मे कवर नहीं होते है इसके लिए अलग से नियम है। उक्त नियमन राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई परियोजनार्थ कुंआ खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के अनुसार किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी को दिनांक 15.02.2022 को नियमन हुई विवादित भूमि ख0नं0 707 रकबा 2.32 हैक्टर की नियमन के समय नियमन आदेश में किस्म सिवायचक भूमि अंकित थी जबकि उक्त भूमि ख0नं0 707 रकबा 2.32 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर तहसीलदार बौंली की मिसल संख्या 04/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2018 के द्वारा अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने पर मौके से बेदखल करने, शास्ति अधिरोपित करने के अतिरिक्त 90 दिवस का सिविल कारावास से दण्डित किया गया था जिसकी अपील अपील संख्या 107/19 के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के समक्ष करने पर निर्णय दिनांक 20.01.2020 के द्वारा अपीलान्ट के विवादित ख0नं0 707 पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक सशर्त स्वीकार की गई थी। **उक्त अपील में अप्रार्थी हरगोविन्द द्वारा यह माना गया है कि उसका ख0नं0 707 गै0मु0 रास्ते पर कोई कब्जा काश्त नहीं है मौके पर 30 फीट चौडी डामर सडक बनी हुई है।** इस प्रकार उक्त ख0नं0 707 अप्रार्थी को नियमन होने से पूर्व भी गै0मु0 रास्ता था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक के रूप में दर्शा कर नियमन किया गया है। **राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई परियोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के तहत नियम 4(5)(च) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र से 50 गज की दूरी के भीतर स्थित भूमि, या किसी अन्य पक्की या ग्रेवल वाली सडक के किनारे की भूमि को सिंचाई उद्देश्यों (कुआं या पम्पिंग सेट) के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 15.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त विवादित भूमि आराजी ख0नं0 707 रकबा 2.32 हैक्टर को राजस्व अभिलेख में पुनः गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर